श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कालेज, गोण्डा
आजादी का अमृत महोत्सव

दिनांक: अगस्त 22, 2023

सूचना

समस्त छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शासन के निर्देशानुसार सेवायोजन पोर्टल www.sewayojan.up.nic.in पर अपना पंजीकरण करना सुनिश्चित करें।

प्राचार्य

डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

DR. RAMMANOHAR LOHIA AVADH UNIVERSITY, AYODHYA (U.P.)

पत्रांकः– लो.अ.वि. / कु.स.का. / 1241 दिनांकः– 18.08.2023

सेवा में,

विभागाध्यक्ष / निदेशक / प्राचार्य / प्राचार्या,
समस्त विभाग / पाठ्यक्रम आवासीय परिसर तथा
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय / संस्थान, डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

विषयः संस्थान में अध्ययनरत अभ्यर्थियों का सेवायोजन पोर्टल www.sewayojan.up.nic.in पर पंजीयन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

अवगत कराना है कि जिला सेवायोजन अधिकारी, सुलतानपुर के पत्र संख्या 396 / वी0जी0 / पंजीयन / पोर्टल / 2023 दिनांक 24 जुलाई 2023 के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद के अध्ययनरत छात्र / छात्राओं (बेरोजगार अभ्यर्थियों) का पंजीयन सेवायोजन पोर्टल पर पंजीयन कराये जाने हेतु शासन द्वारा आदेशित किया गया है। जिसके अनुसार प्रत्येक शिक्षण संस्थान अपने संस्थान में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं का पंजीयन सेवायोजन विभाग के पोर्टल www.sewayojan.up.nic.in पर कराना सुनिश्चित करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि शासन के उपरोक्त आदेश के क्रम में आप अपने महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र / छात्राओं का सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर पंजीयन कराना सुनिश्चित करें, जिससे सरकार को बेरोजगारों की प्रमाणित संख्या प्राप्त हो सके।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

डॉ0(अंजनी कुमार मिश्र)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. आशुलिपिक कुलसचिव, कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. प्रोग्रामर ई0डी0पी0 को इस आशय के साथ प्रेषित की उक्त पत्र संलग्नकों के साथ विश्वविद्यालय के साइट एवं महाविद्यालयों के लागिन पर आपलोड करने का कष्ट करें।

डॉ0(अंजनी कुमार मिश्र)
कुलसचिव

कार्यालय जिलाधिकारी, सुलतानपुर।

पत्रांक: 384 / वी0जी0 / पंजीयन / वेब पोर्टल / सुलतानपुर / 2023   दिनांक: 2 / जून 2023

प्राचार्य / प्राचार्या, राजकीय पॉलीटेक्निक, सुलतानपुर।

प्राचार्य / प्राचार्या, समस्त स्नातक / स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुलतानपुर।

प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या, समस्त राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुलतानपुर।

प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या समस्त राजकीय / निजी इण्टरमीडिएट कालेज, सुलतानपुर।

विषय: शिक्षण संस्थानों के उत्तीर्ण / अध्ययनरत अभ्यर्थियों का सेवायोजन पोर्टल www.sewayojan.up.nic.in पर पंजीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया श्रम अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–553 / छत्तीस–5–2023–08 (42) / 2020 दिनांक: 19.05.2023 का अवलोकन करें, जिसके अनुसार सेवायोजन विभाग उ0प्र0 द्वारा एकीकृत सेवायोजन पोर्टल www.sewayojan.up.nic.in का विकास कराया गया है। इस पोर्टल पर बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों के पंजीयन की व्यवस्था की गयी है। अभ्यर्थियों के सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण कराने से शासन को रोजगार / बेरोजगारी की वास्तविक स्थिति प्राप्त होगी, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने हेतु योजनाएं बनायी जा सकेंगी तथा प्रदेश में प्रतिवर्ष बेरोजगार अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराये जा रहे रोजगार की प्रमाणित संख्या भी उपलब्ध हो सकेंगी।

उक्त पोर्टल पर पंजीकरण कराने हेतु सर्वप्रथम बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों द्वारा यूजर नेम एवं पासवर्ड बनाया जायेगा। तत्पश्चात पोर्टल पर लॉगिन कर यूजर द्वारा अपनी समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रविष्ट किया जायेगा। बेरोजगार अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त शैक्षणिक, अनुभव, कौशल, वरीयता सम्बन्धी आवश्यक सूचनाएं प्रविष्ट करने के उपरांत पोर्टल से अपने पंजीकरण की रिपोर्ट (एक्स–10) प्रिन्ट प्राप्त की जा सकती है।

अतः शासन के उपरोक्त आदेश के कम में आपको आदेशित किया जाता है कि आप अपने एवं अधीनस्थ राजकीय / निजी संस्थानों में अध्ययनरत / उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं को सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: शासनादेश की छायाप्रति।

(जसजीत कौर)
जिलाधिकारी
सुलतानपुर।

प्रतिलिपि:–

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, सुलतानपुर।
3. जिला सेवायोजन अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि पंजीकरण की प्रगति से सम्बन्धित सूचना प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से अवगत करायें।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, सुलतानपुर को इस निर्देश के साथ कि समस्त इण्टर मीडिएट कालेजों के प्रधानाचार्य को पंजीयन हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करें।
5. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सुलतानपुर को इस निर्देश के साथ कि समस्त राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य को पंजीयन हेतु अपने स्तर से भी निर्देशित करें।

जिलाधिकारी
सुलतानपुर।

File पंजीकरण N.P. 01